ज्ञापांक–**5442**/तक0/2023

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–21.09.2023

सेवा में,

RAJESH KUMAR BHARTIA,
UMA DEVI BHARTIA ,M L AGARWAL,
P D BHARTIA ,R K BHARTIA,SHRPLTD ,
216, HARI OM TOWER,CIRCULAR ROAD ,RANCHI - 834001.

विषयः– **मौजा–GARI, प्लॉट नं0–701,702,703.704,705/1984,706, खाता नं0–64, 126, 127, वार्ड नं0–09, थाना–सदर, जिला–रॉची में प्रस्तावित बहुमंजिली व्यावसायिक भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित संबंधित बहुमंजिली व्यावसायिक भवन के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, आड्रे हाउस, रॉची के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–570 दिनांक–21.09.2023 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित बहुमंजिली भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 1,50,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. भवन के चारों तरफ 150mm डाया वाले रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
5. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ दोनों स्टेयरकेश लॉबियों में 150 MM डाया वाला एक–एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डाया का डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. भवन के सभी बेसमेन्ट सहित सभी व्यावसायिक तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्म गौंग से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
7. बेसमेंट में कम से कम दो घंटा अग्नि–रोधी फायर पार्टीशन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
8. सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
9. भवन के सभी व्यावसायिक तलों को एड्रेसेबल डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
10. अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम एक अदद 2850 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
11. 900 Lpm क्षमता वाले टेरेस पम्पं का संस्थापन कराया जाय।
12. जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
13. समान क्षमता का डीजल चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
14. राईजर एवं स्प्रिंकलर के लिए अलग–अलग पम्पिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाय।
15. ये सभी फायर पम्प डिलिवरी हेडर से Inter Connected रहेंगे।

16. भवन में एक अदद जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
17. पम्पिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
18. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से भी जोड़कर रखा जाय।
19. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रिशियन से हीं कराया जाय।
20. भवन में प्रति 400 वर्गफीट अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले चार–चार अदद डी0सी0पी0 एवं 04.5 के0जी0 क्षमता के सी0ओ0टू0 04-04 अदद अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
21. भवन की उँचाई NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए एवं भवन में दो सीढ़ी होनी चाहिए एवं सीढ़ियों की चौड़ाई NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
22. सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
23. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
24. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
25. भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
26. प्रत्येक तलों के प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि–रोधी स्वचालित फायर चेक डोर का संस्थापन कराया जाय।
27. बेसमेन्ट से जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाय। बेसमेन्ट में Transformer, Boiler, Pressurized Cylinder, Generator, A.C न रखें जाय। भवन में बेसमेन्ट वाले भाग में समुचित Ventilation की व्यवस्था रखी जाय, ताकि प्रति घंटा कम से कम 12 से 15 एयर चेज होता रह सकें एवं आपात स्थिति में इसे 30 एयर चेंज तक बढ़ाया जा सकें। बेसमेन्ट के लिये अलग से सीढ़ी एवं लिफ्ट की व्यवस्था रखी जाय अथवा सतही तल पर ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि उपरी तलों से सीढ़ी/लिफ्ट से आने पर सतही तल पर रूकने के बाद ही बेसमेन्ट के लिए प्रस्थान कर सके।
28. प्रत्येक तलों के लिए अलग–अलग ए0सी0 डक्ट की व्यवस्था की जाय तथा डक्ट में मानक के अनुरूप स्वचालित फायर डैम्पर का संस्थापन कराया जाय।
29. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
30. NBC के अनुसार अग्निशमन एवं बचाव कार्य हेतु भवनों के सामने वाले भाग में 12-12 मीटर चौड़ी, ठोस एवं समतल जगह खुले रूप में हर समय उपलब्ध रखा जाय।
31. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिसटेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
32. भवन के प्रत्येक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
33. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।

34. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
35. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
36. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2023.09.22 10:55:35 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।